उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

सरकार
बनाम
अज्ञात

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **35/2012–13**

वाद का प्रकार :– अधिहरण (Confiscation)

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक – 473/खाद्य दिनांक – 07.12.2012 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक 331 दिनांक 07.11.2012 के आलोक में बसिया थाना के जामादार द्वारा पकड़े गये कुल 89.75 क्विंटल चावल जो वर्तमान में प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक के जिम्मेनामा है के केता एवं बिकेता के विरुद्व प्रखंड़ आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला द्वारा बसिया थाना में दर्ज किए गये प्राथमिकी के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा– 7 ई0सी0 के तहत् जप्त खाद्यान को अधिहरण करने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि न्यायिक प्रकिया के तहत् माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड़ रांची के Cr.m.p No. 671/2014 मोहन प्रसाद गुप्ता बनाम राज्य में पारित आदेश के आलोक में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,गुमला के जी0 आर0 नं0 846/2012 बसिया थाना कांड संख्या 65/2012 में जप्त चावल को विमुक्त किया गया है। चूँकि इस काण्ड का विचारण व्यवहार न्यायालय में लंबित रहने के कारण वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला/ अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

20.01.23
उपायुक्त
गुमला

20.01.23
उपायुक्त
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2023.02.10 11:24:58 +05:30
Location: 192.168.5.117

Scanned with OKEN Scanner